न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 7/16 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2016/00004)

1. रामसिह पुत्र राधेश्याम
2. रमेश
3. सुरेश

पिस0 वृजी उर्फ विरजी

अकवाम जाट निवासी अजान तहसील रारह जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र घमण्डी जाति जाट निवासी अजान तहसील रारह जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी कुम्हेर दिनांक 13.1.2016

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश कुमार वकील अपीलान्ट।
2. श्री राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री विजयसिंह कुन्तल वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 18.7.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी कुम्हेर के निर्णय दिनांक 12.1.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट वगैरह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि खसरा नम्बर 4789/0.26, 4814/0.02, 5084/0.

18.7.22
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

54. वाकै ग्राम अजान द्वितीय तहसील कुम्हेर में स्थित है कि जिसकी प्रार्थीगण मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। हाल खसरा नम्बर 4789/0.26 है0 साविक खसरा नम्बर 4060 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा में 3 ऐयर हाल खसरा 4814/0.02 है0 साविक खसरा नम्बर 4073/12 बिस्वा में 8 ऐयर व खसरा 5084/0.54 है0 में साविक खसरा नम्बर 4720/1-3, 4721/17 बिस्वा, 4722/17 बिस्वा 4723/17 बिस्वा, कुल 3 बीघा 14 बिस्वा में 5 ऐयर कुल 16 ऐयर रकबा साविक के मुकाबले कम आया है। आराजी साविक खसरा नम्बरान 4789/0.26 है0 में से 3 ऐयर कम, 4814/0.02 है0 में 8 ऐयर कम, 5084/0.54 में 5 ऐयर बनाते समय हाल राजस्व रिकार्ड में रकबा साविक के मुकाबले कम दर्ज कर दिया जबकि भू प्रबन्ध विभाग को हाल राजस्व रिकार्ड में रकबा गलत/ कम दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग को रकबा साविक के मुकाबले रिवाईज दर्ज करना चाहिऐ इसलिऐ हाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे रकबा कम को दुरूस्त किया जाकर साविक के मुताबिक प्रार्थीगण रकबा पूरा करा पाने का अधिकारी है। इसलिऐ प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 4789/0.26 है0 का रकबा साविक ख0नं0 4060 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के मुताबिक 0.29 है0, हाल ख0नं0 4814/0.02 है0 का रकबा साविक ख0नं0 4073 रकबा 12 बिस्वा के मुताबिक 0.10 है0 एवं ख0नं0 5084/0.54है0 का रकबा साविक खसरा नमबर 4720 रकबा 1 बीघा3 बिस्वा , 4721 रकबा 17 बिस्वा , 4722 रकबा 17 बिस्वा , 4723 रकबा 17 बिस्वा कुल 3 बीघा 14 बिस्वा के मुताबिक 0.59 है0 दुरूस्त किया जाकर हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र के तथ्य न्यायहित में नहीं होने चूंकि 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है लिहाजा यदि प्रार्थी रकबे को पूरा कराना चाहता है तो उसे सक्षम न्यायालय में दावा लाना चाहिऐ जिसमें साक्ष्य/रिकार्ड आदि पेश करने के बाद मैरिट पर सुनवाई की जा सके। तदनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.1.2016 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि आलौच्य आदेश जेर अपील न्यायालय तहत खिलाफ कानून एवं रिकार्ड के विपरीत है जो कि काबिल निरस्तनीय है। नकल आदेश जेर अपील के साथ संलग्न है। यह कि न्यायालय तहत ने आलौच्य आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्ट की साविक के रकबा के मुकाबले हाल रकबा बन्दोवस्त विभाग ने कम दिया है जबकि मौके पर अपीलान्ट का रकबा साविक रकबा के बरावर आज भी कब्जा काश्त है। इस तथ्य की ताईद तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट से हाती है, फिर भी न्यायालय तहत ने इन समस्त तथ्यों पर गौर न करते हुये आलौच्य आदेश जेर अपील पारित कर दिया हैजो नियमों के विपरीत होने के कारण काबले मंसूखी है। यह कि न्यायालय तहत ने मौका रिपोर्ट तहसीलदार कुम्हेर पर भी अपना न्यायिक विवेक इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि इस रिपोर्ट में पूर्ण विवरण दिया गया है कि अपीलान्ट के रकबा की पूर्ति अन्य नम्बरान से की जा सकती है फिर भी न्यायालय तहत ने आलौच्य आदेश जेर अपील यह फाईडिंग दी है कि रिपोर्ट में वेसी रकबा को किस नम्बर में जोडा जाना है यह उल्लेख नहीं है उनकी यह फाईडिंग रिकार्ड के विपरीत है इसलिऐ तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। यह कि न्यायालय तहत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 4789 व 5084 की कमी रकबा की पूर्ति वेसी रकबा से पूर्ति करने में यह परेशानी होगी कि ये नम्बरान नक्शा में एक दूसरे से काफी दूरी पर है परन्तु पटवारी ने यह अंकित नहीं किया कि कौन सा नम्बर वेसी रकबा है। जिससे कि प्रार्थी की उक्त आराजी के रकबा की पूर्ति नहीं हो सकती । अरअसल इस हद तक यह रिपोर्ट अपूर्ण है इसलिऐ न्यायालय तहत को आलौच्य आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व मौके की पुनः रिपोर्ट तलब करनी चाहिऐ थी। न्यायालय तहत ने ऐसा नहीं करने में कानूनी भूल की है। क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग को किसी की खातेदारी में स्थित भूमि को कम करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है इसके अलावा तहसीलदार की रिपोर्ट में भी स्पष्ट उल्लेख था कि किन खसरा नम्बरान से अपीलान्ट के कम रकवे की पूर्ति की जा सकती है। इसके बाबजूद इसे नजरअंदाज किया गया है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया है कि अपीलाधीन आदेश में भी यह माना गया है कि अपीलान्ट का रकवा कम है परन्तु अदालत मातहत ने

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गलत आधार पर खारिज किया है। अत अपीलअपीलान्टस्वीकार फरमाई जाकरतहतअदालत द्वारापारितअपीलाधीननआदेशदिनांक 13.1 2016 निरस्त कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 136 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पो0 ने तर्क दिया कि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि रिकार्ड से होना आवश्यक था परन्तु अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा न तो अदालत मातहत में व न ही अदालत हाजा में इस तरह का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया जिससे उनके कथन की पुष्टि होती है। दूसरी ओर रैस्पो0 द्वारा साविक खसरा नं0 413 का कय अपीलान्ट से किया गया है। इस संबंध में विक्रय पत्र भी पेश किया गया है। अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित भूमि में से कुछ भूमि रोड में चली गई है जिसे अपीलान्ट द्वारा नहीं बताया गया है। रैस्पों0 की खातेदारी में दर्ज भूमि को अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज नहीं किया जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि या राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती की जा सकती है। रकवा की पूर्ति नहीं की जा सकती इसके लिए सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है। वकील रैस्पों0 ने अपने तर्क के समर्थन में आर.आर.डी. 2009(2) पेज 443 व आर.आर.डी. 2011–2012 सप्लीमेंट्री पेज 284 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया तथा उल्लेख किया कि अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नहीं दिया जा सकता है वरन् इसके लिए सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश करके ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि विवादित खसरा नम्बर में आबादी बसी हुई है, कौनसा रकबा दिया जावे स्पष्ट नहीं है। तहसीलदार की रिपोर्ट भी स्पष्ट नहीं है। 136 के प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त कार्यवाही की जाती है जिसके तहत राजस्व रिकार्ड में नाम, जाति या अन्य लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त की जा सकती है। रकवा पूर्ति हेतु सक्षम न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.01.2016 यथावत रखा जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रिव्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट के दौरान की गई त्रुटियों को दुरूस्त किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में साबिक व हाल खसरा नम्बरान का मिलान क्षेत्रफल व अन्य रिकार्ड पेश किया है जिससे स्पष्ट है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित रकबे को कम कर रैस्पों की खातेदारी में दर्ज किया है जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट से हो रही है परन्तु अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर गलत रूप से अपीलान्ट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.01.2016 को निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किये जाने के आदेश दिये जावे।

अपीलान्ट व रैस्पों0 के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.01.2016 में कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड व दस्तावेज का परिक्षण करते हुए पूर्ण विवेचना के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है विवादित खसरा नम्बर में आबादी बसी हुई है। इस रकवे की पूर्ति के लिये तहसीलदार कुम्हेर द्वारा रकवा स्वयं के रकवे के अलावा अन्य खातेदारों की खातेदारी में होने का उल्लेख किया है। तथा रिपोर्ट में बेसी रकवा को कम कर किस नम्बर से पूर्ति की जानी है, का उल्लेख नहीं है इसलिए बेसी व कम रकवा की पूर्ति किया जाना न्यायहित में नहीं होना मानते हुए यह भी उल्लेख किया है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें नाम की दुरूस्ती, जाति की दुरूस्ती इत्यादि की दुरूस्ती साविक रिकार्ड से की जा सकती है। रकवे की पूर्ति हेतु सक्षम न्यायालय में दावा लाकर साक्ष्य/रिकार्ड आदि पेश करने के बाद गुणावगुण पर की जा सकती है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट तथा तहसीलदार की रिपोर्ट जो कि अदालत मातहत पत्रावली में उपलब्ध है, में स्पष्ट अभिशंषा नहीं की गई है कि अपीलान्ट/प्रार्थी के कम रकवे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जा सकती हैं। दूसरी ओर रैस्पों0 ने स्वयं की खातेदारी में दर्ज भूमि को अपीलान्ट से क्रय करने तथा इस भूमि पर रैस्पों0 का कब्जा काश्त होना बताया है। इसके अलावा वकील रैस्पों द्वारा बहस में

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वर्णित नजीर आर.आर.टी. 2011-12 सप्लीमेन्ट्री पेज 264 पर वर्णित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेशों को उचित नहीं मानकर वाद के माध्यम से ही करवाई जा सकने का आदेश पारित किया गया है। अतः उक्त नजीर में वर्णित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.01.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर 18.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर